प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.05.2025

साइबर सेल थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड की रू0 80,000 की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 18.04.2025 को आवेदक श्री अनुज कुमार पुत्र स्व० श्री रघुवंश कुमार निवासी स्वर्ण जयंतीपुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद द्वारा साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी कि उनके साथ टूर एंड ट्रैवल पैकेज के नाम पर 80,000 रूपये का फ्रॉड किया गया है। जिसपर तत्काल साइबर सेल थाना मधुबन बापूधाम द्वारा कार्यवाही करते हुये पैसे ट्रांसफर किये गये खाते के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा आवेदक के खाते से साइबर फ्रॉड करके स्थानान्तरित किये गये 80,000 रूपये को फ्रीज करवाया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर अपराधियो के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मधुबन बापूधाम द्वारा आवेदक श्री अनुज कुमार पुत्र स्व० श्री रघुवंश कुमार निवासी स्वर्ण जयंतीपुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के खाते से टूर एंड ट्रैवल पैकेज के नाम पर 80,000 रूपये का फ्रॉड करके स्थानान्तरित 80,000 रूपयो को साइबर सेल थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से होल्ड कराया गया तथा अथक प्रयासो के बाद दिनांक 14.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्राड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मधुबन बापूधाम पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

साइबर सेल, थाना मधुबन बापूधाम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन, 21500 रूपये बरामद।

दिनांक 13.05.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर 02 अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से एक डैल कम्पनी का लैपटॉप, एक सैमसंग S10 मोबाइल फोन तथा कैश चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. प्रवीन उर्फ स्वीटी पुत्र राजेश नि0 25 फुटा रोड़ गली न0 2 संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 2. अर्जुन पुत्र विजेन्द्र नि0 गली न0 3 न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 01 लैपटॉप डैल कंपनी, 01 मोबाईल फोन सैमसंग कंपनी तथा 21500 रूपये बरामद हुये। उक्त बरामदगी

के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों ने मिलकर परशुराम स्कूल के पास एक घर से एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन व कुछ रूपये चुराये थे। चुराये हुए रूपये हम दोनों ने आपस में बॉट लिए उनमें से कुछ रुपये हमने मौज मस्ती में खर्च कर दिए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.प्रवीन उर्फ स्वीटी पुत्र राजेश नि0 25 फुटा रोड़ गली न0 2 संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

2.अर्जुन पुत्र विजेन्द्र नि0 गली न0 3 न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 01 लैपटॉप डैल कंपनी, 01 मोबाईल फोन सैमसंग कंपनी तथा

21500 रूपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पर 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध एक देशी तमंचा व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

दिनांक 14.05.2025 को वादिया द्वारा थाना लोनी पर एक लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त अमित पुत्र यशपाल निवासी यमुना सिटी चिरोडी द्वारा वादिया के पति रहमत आलम को चिरौडी पेट्रोल पम्प के पास जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से गोली मार देना। जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में मु0अ0सं0 238/2025 धारा 109 BNS पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी जिसमें थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग में नामित अभियुक्त अमित पुत्र यशपाल निवासी यमुना सिटी चिरौडी उम्र 35 वर्ष को आज दिनांक 15.05.2025 को चैकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र चिरौडी से मय घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी से अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मुझे शक था कि रहमत आलम की गलत नजर मेरी लडकी पर है इसलिये मैं इसी देशी तमंचा .315 बोर से रहमत आलम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर वहाँ से भाग गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अमित पुत्र यशपाल निवासी यमुना सिटी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 15.05.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व चैकिंग/गस्त के दौरान 03 शातिर चोर 1. अनमोल पुत्र अरुण कुमार निवासी ग्राम पूठड़ी थाना निवाड़ी गाजियाबाद 2. अनंत वत्स पुत्र राजीव शर्मा निवासी 61, कैलाशपुरी, थाना नौचंदी जिला मेरठ 3. रोहन पुत्र सुनील निवासी ग्राम दुरियाई थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर को नायफल शमशान कट से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से थाना वेवसिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2025 धारा 303(2),317(2) BNS व मु0अ0सं0 128/25 धारा 303(2) BNS से संबंधित 02 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि साहब हम साथ में रहते हैं और हमने मौका पाकर उक्त दोनों मोटरसाइकिल रात में ड्रीम होम्स की पार्किंग से चोरी की थी और नंबर प्लेट हटा दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अनमोल पुत्र अरुण कुमार निवासी ग्राम पूठड़ी थाना निवाड़ी कमि० गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
2. अनंत वत्स पुत्र राजीव शर्मा निवासी 61, कैलाशपुरी, थाना नौचान्दी जिला मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष
3. रोहन पुत्र सुनील निवासी ग्राम दुरियाई थाना बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर वाहन चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

दिनांक 12.05.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त ओमवीर पुत्र भीम निवासी बसंतपुर सैथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादी की माँ के ऊपर तमंचा से फायर करना व वादी के परिवार के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.05.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ओमवीर पुत्र भीमसिंह निवासी ग्राम बंसतपुर सैथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को कृष्णा एन्कलेव के गेट के पास असालतनगर की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध एक तमंचा, एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मेरा वादी के परिवार से आस-पडौस की बातों को लेकर विवाद चल रहा था। वादी की माँ मुझसे अनाप सनाप कहने लगी तो मुझे एक दम गुस्सा आ गया और मैंने उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

ओमवीर पुत्र भीमसिंह निवासी ग्राम बंसतपुर सैथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।